न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील संख्या 2018 / 00352(232 / 2018)

1. ज्यानादेवी पुत्री नन्दराम पत्नी चानणराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कमला पुत्री नन्दराम पत्नी मानाराम जाति जाट निवाससी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. भागां देवी पुत्री नन्दराम पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–: बनाम :–

1. सांवतराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन बाच्छूसर तहसील नोहर।
2. रूपराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन बाच्छूसर तहसील नोहर।
3. गुगनराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन बाच्छूसर तहसील नोहर।
4. नन्दराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बाच्छूसर तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। –– रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2006 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0 सं0 166 / 2000 बउनवानी सांवतराम बनाम नन्दराम आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3

निर्णय दिनांक –09.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि बताते हुए अपना हक हिस्सा होने का कथन किया एवं उसकी घोषणा खाता विभाजन एवं लगान अलग अलग कायम करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी ने दावा एवं जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट नन्दराम एवं रूपराम ने अपील संख्या 74/2006 (2006/00025) नन्दराम सांवताराम प्रस्तुत की। इसके बाद ज्यानादेवी आदि ने अपील में अपील में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2008 को खारिज किया गया। इस आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने इस न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का आदेश दिया किन्तु ज्यानादेवी आदि को अन्य अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहने का आदेश दिया जिस पर अपीलाण्ट्स ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया है वादी ने अपनी बहनों का वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि माना है। यदि पैतृक भूमि है तो उसमें अपीलाण्ट ज्यानादेवी आदि जो कि नन्दराम की पुत्रियाँ का भी हिस्सा है जिन्हें अधीनस्थ न्यायलाय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपील के साथ धारा -96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही प्रकरण में चारा जोही की गई और ज्याना देवी को अलग से अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है इसलिए यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1997 (2) एससी पेज 208, 2010 (3) सीसीसी पेज 374, 2012 (2) आरआरटी पेज 936, 2012 (1) आरआरटी पेज 182 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. रेस्पोडण्ट सांवताराम के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 53 एवं 188 आरटीएक्ट का दावा पेश किया गया था। ज्यानादेवी आदि ने साजनराम की भूमि में हक हिस्सा मांगा है किन्तु हिन्दू उत्ताराधिकर अधिनियम संशोधन एक्ट दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है तथा उसका असर भूतवर्ती नहीं है बल्कि पश्चात्वर्ती है तथा साजनराम पुत्र किशनाराम सम्वत 2014 में फौत हो चुका है और इसलिए नये अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही हेाते हैं। प्रतिवादी नंदराम ने इस भूमि के संदर्भ में पूर्व में एक वाद नंदराम बनाम सांवताराम वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो सांवतराम के वाद में हाजिर होने पर उसके अधिवक्ता ने खारिज करवा लिया। काउण्टर क्लेम सांवतराम की खरीदी हुई भूमि के संबंध में है जबकि ज्याना देवी अपील साजनराम की भूमि में से हक मांग रही है जिसमें उसका हक नहीं है । नंदराम के नाम दर्ज भूमि नंदराम की नही है नंदराम बतौर कर्ता दर्ज है। इसका पूर्व में भी दावा खारिज हो चुका है। अतः अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सांवताराम जो अपीलाण्ट नन्दराम का पुत्र है ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिमसें नंदराम अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम पेश किया था कि प्रश्नगत भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है। विचारण न्यायालय ने वाद में कुल 5 तनकीयात कायम की और तनकी वाईज विस्तृत विवेचन करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों इएक्पी–1 से 11 एवं बयान पीडब्ल्यू 1 से 4 के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 चारों का 0हि0 बराबर 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा तहसीलदार नोहर को कमीश्नर नियुक्त कर आदेश दिया है कि अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से खाता तकसीम की रिपोर्ट प्रेषित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि माना है। पैतृक भूमि होने के कारण सभी वारिसान को घोषणा एवं विभाजन के वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। उनके पक्षकार बनने पर ही उनके हक अधिकार यदि होंगे। चूंकि ज्याना देवी आदि रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की पुत्री हैं इसलिए वे वाद में आवश्यक पक्षकार थी जिनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। पक्षकार नहीं होने के कारण इनको सुनवाई का अवसर नही मिला है। अपील का मुख्य आधार भूमि के पैतृक होने के कारण भूमि में अपीलाण्ट्स हक हिस्सा होना है। अतः ज्यानादेवी आदि का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि सभी आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: